

द्वारा ई-मेल/फैक्स

# मुख्यालय पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 लखनऊ

लाजिस्टिक्स इकाई, सिग्नेचर भवन, पंचम तल, टावर-1 गोमतीनगर विस्तार फेज-2 लखनऊ

(फैक्स नम्बर-0522-2724030)

संख्या : लाजि0-एम0टी0-22/2025

दिनांक: अप्रैल 23, 2025

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष,  
पुलिस विभाग उत्तर प्रदेश।

कृपया अवगत कराना है कि आरक्षी चालक के चयन वर्ष-2025 (दिनांक 01-07-2025 से  
दिनांक 30-06-2026) के रिक्त पदों के सापेक्ष चयन की कार्यवाही की जानी है।

2— उत्तर प्रदेश पुलिस मोटर परिवहन शाखा अधीनस्थ अधिकारी सेवा नियमावली, 2015 के  
नियम-5(क) में निहित व्यवस्था के अनुसार आरक्षी चालक के शत-प्रतिशत पद मौलिक रूप से  
नियुक्त ऐसे आरक्षी नागरिक पुलिस, आरक्षी सशस्त्र पुलिस एवं आरक्षी पी0ए0सी0 से भरे जायेंगे  
जो निम्न पात्रता शर्तें पूर्ण करते हो :—

- (1) चयन वर्ष के प्रथम दिवस को 32 वर्ष से अधिक की आयु प्राप्त न की हों।
- (2) अच्छे स्वास्थ्य का हो और बगैर चश्मे या सहायता के आखों की दृष्टि 6/6 हो।
- (3) पूर्व में आरक्षी चालक के पद से प्रत्यावर्तित न हुआ हो।
- (4) मोटर यान अधिनियम, 1988 के अन्तर्गत सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत भारी तथा हल्के  
वाहनों का ड्राइविंग लाइसेंस धारक होना अनिवार्य है।
- (5) भर्ती वर्ष के प्रथम दिवस को तीन वर्ष की सेवा (प्रशिक्षण केन्द्र में किये गये प्रशिक्षण  
की अवधि को छोड़कर) पूर्ण कर ली हो।

(6) विगत पाँच वर्षों की अवधि में:-

- (एक) सत्यनिष्ठा रोकी न गयी हो, या
- (दो) कोई दीर्घ दण्ड न मिला हो, या
- (तीन) दो या उससे अधिक लघु दण्ड न मिले हों।

(7) विगत तीन वर्षों की अवधि में:-

- (एक) कोई लघु दण्ड न मिला हो, या
- (दो) दो या उससे अधिक छोटे दण्ड न मिले हों, या
- (तीन) कोई प्रतिकूल प्रविष्टि न मिली हों।

3— नामांकन भेजते समय निम्नांकित निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जायः—

1. नामांकित आरक्षी के स्वास्थ्य परीक्षण (मुख्यतः दृष्टि परीक्षा) नामांकन भेजने के पूर्व ही करा  
लिया जाय तथा दृष्टि परीक्षा का परिणाम स्पष्ट रूप से अंकित किया जाय अर्थात् दृष्टि  
परीक्षा के परिणाम ठीक है, आदि अंकित न करके चिकित्सक द्वारा दिये गये चिकित्सा  
प्रमाण पत्र में दृष्टि परीक्षा का परिणाम अंकों में अंकित किया जाय। यदि दृष्टि परीक्षा में  
आरक्षी कलर ब्लाइन्ड पाया जाता है तो चिकित्सा प्रमाण पत्र में इसका स्पष्ट रूप से  
उल्लेख किया जाय। (नामांकन के साथ चिकित्सा प्रमाण-पत्र अवश्य संलग्न किया जाय)

2. वाहन चालन कार्य के दृष्टिगत राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत चिकित्सक द्वारा प्रदत्त स्वास्थ्य परीक्षण की रिपोर्ट प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
  3. इस निर्देश का जनपदों/पीएसी वाहिनी तथा इकाईयों में व्यापक प्रचार-प्रसार कराया जाय ताकि किसी भी इच्छुक/पात्र आरक्षी का नामांकन छूटने न पाये।
  4. चयन वर्ष का कट आफ डेट 01 जुलाई है।
  5. आरक्षी नागरिक पुलिस, आरक्षी सशस्त्र पुलिस एवं आरक्षी पी0ए0सी0 के अतिरिक्त आरक्षी आरमोरर एवं आरक्षी घुड़सवार पुलिस उक्त चयन में सम्मिलित नहीं किये जायेंगे।
  6. नामांकन के साथ इस आशय का प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाय कि प्रारूप में अंकित सभी सूचनाएं सही अंकित की गयी हैं एवं अंकित की गयी सूचना में कोई त्रुटि नहीं हैं। विशेषकर जन्मतिथि एवं भर्ती तिथि का मिलान इनके अभिलेखों से अवश्य करा लिया जाय।
  7. पूर्व चयन वर्ष में प्राप्त नामांकन के परीक्षण से पाया गया था कि अधिकांश वाहिनियों द्वारा ऐसे कर्मियों के नामांकन भेजे गये थे, जिनके पास मात्र हल्के वाहन चलाने के लाइसेन्स थे, जिसके सम्बन्ध में यह स्पष्ट करना है कि नामित किये जाने वाले कर्मियों के पास हैवी एवं हल्के दोनों वाहनों के वैध ड्राइविंग लाइसेन्स होना अनिवार्य है। कुछ वाहिनियों द्वारा ऐसे कर्मियों के नामांकन उपलब्ध करा दिये गये थे जिनके हैवी लाइसेन्स की वैधता समाप्त हो गयी थी। नामांकन भेजने के पूर्व जनपद/वाहिनी स्तर पर नामित किये जाने वाले कर्मी के आयु, सेवा, चिकित्सा, दण्ड एवं लाइसेस की वैधता का परीक्षण कराकर पात्र कर्मियों के नामांकन ही मुख्यालय पर भेजे जायें।
  8. प्रत्येक कर्मी का नामांकन अलग-अलग पृष्ठ में उपलब्ध कराया जाय, जिसमें सम्बन्धित सहायक, प्रधान लिपिक, एवं राजपत्रित अधिकारीगण के हस्ताक्षर मुहर सहित अंकित किये जाएं।
  9. निर्धारित प्रारूप एवं निर्देश इस कार्यालय के बेवसाईट up police-police units-Logistics-circular-For latest circular Click here-Go to circular Archive पर प्रकाशित किया गया है, जहाँ से डाउनलोड किया जा सकता है।
4. अतः अनुरोध है कि अपने अधीनस्थ अर्हता पूर्ण करने वाले इच्छुक आरक्षी नागरिक पुलिस, आरक्षी सशस्त्र पुलिस एवं आरक्षी पी0ए0सी0 का नामांकन A3 पेज पर Landscape में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में Times New Roman में संलग्न प्रारूप में तैयार कराकर आवेदन पत्र, चिकित्सा प्रमाण पत्र एवं भारी तथा हल्के वाहनों का ड्राइविंग लाइसेन्स की प्रमाणित पठनीय छायाप्रति सहित सम्बन्धित सहायक के माध्यम से दिनांक 15-05-2025 तक प्रत्येक दशा में उपलब्ध कराने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि के उपरान्त नामांकन स्वीकार नहीं किये जायेंगे, अतः समय सीमा का विशेष ध्यान दिया जाय।
- संलग्नकःप्रारूप

  
(राजेश कुमार)  
अपर पुलिस महानिदेशक, लॉजिस्टिक्स,  
उत्तर प्रदेश लखनऊ।



**नोट:-** १-प्रत्येक कॉलम को स्पष्ट रूप से भरा जायेगा। यदि किसी कॉलम में कोई सूचना अंकित नहीं की जानी है, तो उस कॉलम में स्पष्ट रूप से शून्य अंकित किया जायेंगे। जैसे इनमें A3 पेज पर landscape में माइक्रोफ़ॉट एक्सेल में Times New Roman में ही तैयार की जाये तथा कार्मिक का नाम हाईटूल प्रमाण-पत्र दर्शाया गया है।

१-प्रत्यक्ष कालिन का एवं २-उक्त सूचना A3 पेज पर Landscape में माइक्रोसफ्ट एक्सेल में Times New Roman में ही तैयार की जाये तथा कार्मिक का नाम हाईरेक्युल प्रमाण-पत्र के अनुसार ही अकित किया जाय।

३-एक बार्टन में एक ही असर्थी की सूचना अकित की जाये Lines/cells को merge न किया जाये।

3-एक लाइन में एक ही असरी को सूचना ऑफेट की जाये | Lines/cells का merge न किया जाये।  
4-पार्स द्वारा [ ] में नई लाइन में टिक्कने हेतु Alt+Enter का प्रयोग किया जाये।

—अपूर्ण प्रपत् स्थीकार नहीं किया जायेगा।

संलग्नक की चेक लिस्ट-

**नोट-** निम्नांकित प्रत्यां की पठनीय छायाप्रतियाँ उपलब्ध करायी जायें।

—अभियोग पक्षीकृत होने की दशा में कर्मी के विरुद्ध आरोप पत्र मान्यता न दिनांक तथा वाद की स्थिति का उल्लेख किया जाना।

जनपद, आरोप पत्र संख्या २ दिनांक तथा वाट की स्थिति का उल्लेख है—भारतीय कार्यवाही की दशा में आरोप पत्र निर्गत करने की तिथि सार्वी

३-दण्डादेश के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय/अधिकरण के आदेश/

3-दप्टडत्य के विरुद्ध मनोनाय उत्त्य न्यायालय/आवाहनों का जाप्तरण  
4-बर्खास्ती अथवा अनुपस्थिति की स्थिति में वार्षिक मताव न लिखे हैं।

5-कर्मियों के प्रकरणों से सम्बन्धित माननीय न्यायालय द्वारा स्थगन/दण

६-विचारण अवधि के अन्तर्गत ही कर्मों को प्रदत्त दण्डादेशों का उल्लंघन किया

7-विभागीय प्रोन्टति सामग्री की बढ़तक सम्पन्न हुन तक कानून का प्रदत्त दण्डने के लिए अंदीखत अधियोग में आश्रित पत्र प्रेषित किया जाता है तो उसके

का मुक के विलक्षण पजाहृा जानवरों ने अपने द्वारा उसकी विशेषता का अभिलेख में अकित श्रेणी यथा—असंतोषजनक

८- जागरुकीय कार्यक्रमों के द्वारा प्रतिकूल वार्षिक मन्त्रालय के विरुद्ध प्रेषित प्रति-

१०-यदि सम्बन्धित कार्मिक की सत्यनिष्ठा के सम्बन्ध में कोई हिप्पण आकर्त नहीं होता है तो वह अप्रैल तक चलता है।

द्वारा लिये गये निणये के अध्यान है।

11—যুক্তি পথে আনন্দ ও উপর্যুক্তি

नवीन पंजिका लिपिक के हस्ताक्षर

द्यारेत्र भाषणका द्वितीय अंक दूसरी बार

ପ୍ରାଣ ପ୍ରକାଶ

नाम, पद, मुहर

ਲੁਗਾਈ ਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇ

नाम, पद, मुहर

नियुक्ति प्राधिकारी  
नाम,पद, मुहर